

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 2010

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 से
2012-2013 तक के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ ' आर्चरी एसोसिएशन
आफ इंडिया', नई दिल्ली को एक संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है

अधिसूचना सं. 68 /2010 (फा.सं. 176/8/2010-आई टी ए-।)

पदम सिंह

(पदम सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रैस,

रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली।